छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-09

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी, 2024

(माघ 26, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 46 तारांकित एवं 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.सदन को सूचना

प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा मिलन समारोह एवं ब्रह्म भोजन का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा दोपहर 1.00 बजे स्नेह मिलन समारोह एवं ब्रह्म भोजन का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर, विधान सभा मार्ग, सड्डू, रायपुर में किया गया है, जिसका आमंत्रण पत्र माननीय मंत्रिगण एवं सदस्यगण को वितरित किया गया है ।

माननीय मंत्रिगण एवं सदस्यों से अपेक्षा है, कि वे यथा समय स्नेह मिलन समारोह एवं ब्रह्म भोजन में उपस्थित हों ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 के संदर्भ में प्रथम एवं द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, **पटल पर रखा।**

4.पृच्छा

सर्वश्री धरमलाल कौशिक, ब्यास कश्यप, उमेश पटेल, दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव भोलाराम साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सर्वश्री जनक ध्रुव, रिकेश सेन, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती भावना बोहरा, श्री गजेन्द्र यादव, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सर्वश्री बालेश्वर साहू, प्रबोध मिंज ललित चन्द्राकर, सदस्यों द्वारा शून्यकाल में विविध विषयों के संबंध में आसंदी का ध्यानाकर्षित किया गया ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य ने गोमर्डा अभ्यारण्य के अंदर युवा बाघ को करेंट से मार दिये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, अनुज शर्मा, श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य ने प्रदेश में राजस्व अभिलेख कार्यों को ऑनलाईन किये जाने से हो रही असुविधा की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती गोमती साय

(2) श्री विनायक गोयल

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार उपस्थित निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री लखेश्वर बघेल

(2) श्री कुंवर सिंह निषाद

8. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री अरूण साव, उपमुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित **मांग संख्या-20**, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित **मांग संख्या-22**, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित **मांग संख्या-24**, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग **संख्या-29**, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित **मांग संख्या-67**, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित **मांग संख्या-69**, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित **मांग संख्या-76**, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित **मांग संख्या-81**, प्रस्तुत कीं ।

मांग संख्या-20 पर श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री बालेश्वर साहू, **मांग संख्या-22** पर सर्वश्री लखेश्वर बघेल, दिलीप लहरिया, ब्यास कश्यप, **मांग संख्या-24** पर सर्वश्री लखेश्वर बघेल, दिलीप लहरिया, द्वारिकाधीश यादव, इन्द्रशाह मण्डावी, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री ब्यास कश्यप, इन्द्र साव, **मांग संख्या-29** पर श्री दिलीप लहरिया, **मांग संख्या-67** पर सर्वश्री लखेश्वर बघेल, दिलीप लहरिया, द्वारिकाधीश यादव, इन्द्रशाह मण्डावी, कुंवर सिंह निषाद, **मांग संख्या-69** पर श्रीमती अनिला भेंडिया, **मांग संख्या-76** निरंक, **मांग संख्या-81** निरंक, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की । (जारी...)

(1.00 बजे से 2.31 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

9. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

सर्वश्री दलेश्वर साहू, धरमलाल कौशिक,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सभा की कार्यवाही 4.10 बजे स्थगित की जाकर 4.33 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सभा की कार्यवाही 4.44 बजे स्थगित की जाकर 4.50 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

10.पृच्छा

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सदस्य श्री धरमलाल कौशिक ने यह कथन किया है कि जो विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें लिखी गई बातें असत्य है, अर्थात उनको विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन पर अविश्वास है अत: प्रशासकीय प्रतिवेदन को वापस लिया जाये, तभी हम आगे चर्चा में भाग लेंगे । इस पर आसंदी से व्यवस्था आनी चाहिए। इस संबंध में सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, अटल श्रीवास्तव, रामकुमार यादव, सदस्य द्वारा विचार व्यक्त किये गये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने इसमें स्थिति स्पष्ट की ।

11.व्यवस्था

मान‍नीय सभापति ने व्यवस्था दी कि- धरमलाल कौशिक जी, अपनी बात रख रहे थे, मैंने दो-तीन बार अपनी व्यवस्था दी कि यदि कोई सदन में अपना भाषण दे रहा है तो अनावश्यक टोकाटाकी न करें। उस व्यवस्था के बावजूद लगातार टोकाटाकी होती रही है और कई बार मैंने इस बात को कहा । उन्होंने पढ़ने में, कहने में या इस विषय में भले कुछ बात को कहा होगा, लेकिन जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है, जो शासन द्वारा वितरित किया गया है, वही अधिकृत शासकीय प्रतिवेदन है। मैंने कार्यवाही से पूरे अंश देख लिये हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए सदन को आगे चलने दें।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने पुनः इस पर व्यवस्था की मांग की ।

12. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन सदस्यों को विभागीय बजट पर चर्चा में सहायक हो, इस दृष्टि से वितरित किया जाता है। मैंने कार्यवाही का अंश निकालकर देख लिया है । इसमें माननीय सदस्य श्री धरमलाल कौशिक जी द्वारा प्रतिवेदन के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। आपकी आपत्ति को मै अमान्य करता हूं। कार्यवाही कृपया चलने दें। बजट के महत्वपूर्ण विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी है।

13. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

सर्वश्री धरमलाल कौशिक, रामकुमार यादव

14. वक्तव्य

नियद नेल्लानार योजना के संबंध में

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया कि- हमारे प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्र विशेषकर बस्तर में लगातार नये सुरक्षा कैम्प स्थापित हो रहे हैं। नये सुरक्षा कैम्प स्थापित

करने का मतलब है कि कैम्प के 5 किलोमीटर के रेडियस में वहां के लोगों को सरकार की सभी सुविधाएं पहुंचे। लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि वे सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार एक नई योजना लागू कर रही है। वहां की लोकल बोली में उस योजना का नाम है - नियद नेल्लानार योजना, जिसका हिन्दी में अनुवाद है - आपका अच्छा गांव। उसमें छत्तीसगढ़ की सरकार जो कार्य करने जा रही है, मैं इस वक्तव्य के द्वारा सदन को उससे अवगत कराना चाहूंगा।

मानानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्य के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के नये कैम्पों एवं साथ ही आसपास के ग्रामों में विकास कार्यों हेतु योजना के विषय में सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थापित लगभग 14 नये कैम्पों में नवाचार के रूप में इसके आसपास के 5 ग्रामों की मूलभूत आवश्यकता की दृष्टि से अधोसंरचना विकास एवं परिवारों के सम्यक विकास हेतु कार्रवाई की जावेगी। इन ग्रामों में सभी परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् आवास सुविधा, सभी का राशन कार्ड, सभी को मुफ्त चावल, चना, नमक, गुड़ और शक्कर, उज्ज्वला योजना के तहत् 4 मुफ्त गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शाला, किसानों को सिंचाई हेतु बोरवेल सहित सिंचाई पम्प, हैण्डपंप/सोलर पम्प, हर ग्राम में खेल मैदान, मुफ्त बिजली, बैंक सखी/ए.टी.एम., कौशल विकास, वन अधिकार पट्टा, मोबाईल टावर, डी.टी.एच. एवं टी.वी., हेलीपैड तथा ब्लॉक मुख्यालय तक बस सुविधा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सभी ग्रामों को बारहमासी सड़क से जोड़े जाने का भी लक्ष्य रखा गया है।

यहां शासन की 32 व्यक्तिमूलक योजनाओं के सेचुरेशन के साथ नियद नेल्लानार अर्थात् आपका अच्छा गांव योजना में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए इस बजट में इन ग्रामों में जन सुविधा शिविर में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा स्थल पर ही इसका निराकरण किया जाएगा।

15. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्रीमती गोमती साय, श्री कवासी लखमा,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पदक्रम 5 (1) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री सुशांत शुक्ला, कुंवर सिंह निषाद, प्रबोध मिंज, राघवेन्द्र कुमार सिंह,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नीलकंठ टेकाम, ब्यास कश्यप, गजेन्द्र यादव, अटल श्रीवास्तव, धर्मजीत सिंह, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री संपत अग्रवाल, पुरन्दर मिश्रा, मोतीलाल साहू,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री प्रेमचंद पटेल, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े,

श्री अरूण साव, उपमुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 9.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024 (माघ-27, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा